


आदेश	कार्यवाही विवरण गजराज कंवर बनाम अमीलाल आदि	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
21.12.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील पक्षकार सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण ने वाद-पत्र में भी सहमति प्रदान की गई है। तथा वकील अनावेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र को तादावा कर्न्फर्म करने की सहमति प्रदान की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। शामलाती भूमि में प्रत्येक खातेदार काश्तकार ईच ईच पर कब्जा काश्त माना जाता है। शामलाती भूमि बिना विधिवत विभाजन के खुर्द-बुर्द होने से वाद की बहुलता होगी। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय आदेश दिनांक 21.09.2022 को तादावा कर्न्फर्म किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> ए. ली. (पा. दे.) नवागढ़</p>	

